CITIZENSHIP OF INDIA

Frequently Asked Questions(FAQ)

1. I am a foreigner and want to acquire Indian citizenship. How and where should I apply to acquire Indian Citizenship?

Reply: Please visit MHA website indiancitizenshiponline.nic.in. You may verify your eligibility under relevant provisions of Section 5 and Section 6 of the Citizenship Act, 1955 mentioned therein and fill relevant Form online, upload required documents and pay the prescribed fee.

2. Where should I submit hard copy of citizenship application Form?

Reply: Printout of online filled application Form has to be submitted in the office of District collector/ District Magistrate /Deputy Commissioner(herein after referred as district Collector) of the area where the applicant is ordinarily resident. If the applicant is residing outside India, the printout of the application should be submitted to the Consular General of India.

3. How do I come to know about the progress/status of my citizenship application?

Reply: You may verify status of your application on MHA website indiancitizenshiponline.nic.in. Furthermore, you would be intimated through email and SMS about the progress.

4. How much time will it take to acquire Indian citizenship?

Reply: After the submission of application in the office of the District Collector, the same is processed as per Rule 12 of the Citizenship Rules, 2009 and as per the time framed indicated there. The Central Government/the competent authority disposes of the cases depending upon adequacy of submitted documents and availability of the security report.

5. I am unable to fill the Form in MHA website indiancitizenshiponline.nic.in. Whom should I contact for help?

Reply: Please contact MHA helpdesk at email: support.ctznoci@mha.gov.in

6. How to pay the fee prescribed regarding citizenship application?

Reply: After filling the online Form, the applicant is supposed to finally submit the application. Then, the applicant needs to upload relevant documents. Thereafter, the provision to pay the prescribed fee through SBI – e pay payment gateway will be enabled. Net banking, Debit and Credit Card facilities can be used to pay the fee amount. The applicant can pay fee by using any one of the three modes offered by SBI – e pay Payment gateway.

7. I am staying outside India. How do I pay the fee?

Reply: Same as FAQ No.6. The fee is payable in Indian Rupees.

8. I am a Nepal origin person I do not have passport and visa. Can I apply online for acquiring Indian citizenship?

Reply: In absence of passport, you have to upload online, either a Nepali citizenship certificate or voter ID card issued by Election Commission of Nepal or limited validity photo identity certificate issued by Nepalese Mission in India or, photo ID issued by principal of the School for children in the age group between 10-18 if accompanied by parents having valid travel documents, and fill the form.

9. **I am a Bhutan origin person I do not have passport and visa. Can I apply online for acquiring Indian citizenship?**

Reply: In absence of passport, you have to upload online, either a Bhutanese citizenship certificate or voter ID card issued by Election Commission of Bhutan or limited validity photo identity certificate issued by Royal Bhutanese Mission in India, or photo ID issued by principal of the School for children in the age group between 10-18 if accompanied by parents having valid travel documents and fill the form.

10. I have stayed outside India for 25 days in the 12 months before the date of application for Indian citizenship. Am I eligible to acquire Indian citizenship?

Reply: The Central Government, if it is satisfied that special circumstances exist, may relax the requirement of residency period of twelve months before the date of application up to a maximum of thirty days for applications under Section 5(1)(a), 5(1)(c), 5(1)(f), 5(1)(g) and 6(1) of the Citizenship Act, 1955. An applicant may submit the details of special circumstances due to which he/she was unable to comply with the requirement of twelve months residency period before the date of his/her application.

11. I have my High School/ Matriculation/HSC certificate showing my date of birth and also have Aadhar Card. Can I submit these documents as proof of birth in India in place of 'birth certificate'?

Reply: It is mandatory to submit the documents specified in the statutory forms i.e. Form I to Form VIII. Alternate documents mentioned above are not acceptable.

12. I was born in India in 1990 and both my parents were foreigners at the time of birth. Am I a citizen of India by birth?

Reply: No. For details you may refer to the provisions of Section 3 the Citizenship Act, 1955.

13. I am a foreigner and staying in India for more than 20 years. Am I not a citizen of India due to my continuous stay in India for such a long time?

Reply: No. By mere long stay in India, one does not become citizen of India. The Citizenship of India can be acquired under any one of the following provisions of the Citizenship Act, 1955:-

a) Citizenship by Birth - Section 3
b) Citizenship by Descent - Section 4
c) Citizenship by Registration - Section 5.
d) Citizenship by Naturalization - Section 6
e) Citizenship by incorporation of territory -Section 7

14. I do not have valid foreign passport and valid Visa/RP/ LTV. Can I apply for Indian citizenship?

Reply: No. As per provisions of Section 5 and 6 of the Citizenship Act, 1955, an illegal migrant is not eligible to acquire citizenship of India. The term "illegal migrant" has been defined in Section 2(1)(b) of the Citizenship Act, 1955.

15. I have received a letter/communication to submit additional/deficient documents. How and where should I submit these?

Reply: Please upload these documents on the MHA website indiancitizenshiponline.nic.in against your file number and then submit hard copy of documents in the office of the District Collector of your area where you ordinarily reside.

16. I have received intimation that the Central Government has decided to grant me citizenship and I have been asked to submit original receipt of fee paid, photographs, signatures, duly filled Form X or XI or XII and the original copy of renunciation certificate. Where should I submit these documents?

Reply: You must upload scanned copies of these documents on the MHA website indiancitizenshiponline.nic.in. However, you have to submit original of these documents, in the office of the concerned District Collector.

17. I have been issued in-principle acceptance letter and asked to renounce my Pakistani Nationality. But Pakistan Embassy is not issuing Renunciation Certificate. What should I do?

Reply: Applicants belonging to Hindu/Sikh communities of Pakistan and Afghanistan, who have entered India on or before 31/12/2009 are permitted to submit affidavit in lieu of renunciation certificate and may refer to MHA circular dated 17/11/2014. Other applicants have to mandatorily submit renunciation certificate from the Embassy of their country.

18. My child is born outside India. How to register his birth with Indian Mission under Section 4 of the Citizenship Act, 1955?

Reply: You may visit MHA website indiancitizenshiponline.nic.in and fill the required form for registration of birth. In case of further difficulty please contact the concern Indian Mission.

19. My child was born outside India 5 years ago. Can I register his birth in Indian Mission?

Reply: Under special circumstances, birth of a minor can be registered by Head of Indian Mission even after one year of date of birth.

20. My child was born outside India but is now ordinarily resident in India. Can I register his birth in Indian Mission abroad?

Reply: Same as FAQ no. 18 above.

21. My son aged 19 years was born abroad. Can he register his birth now in Indian Mission? How can he acquire Indian citizenship?

Reply: Registration of birth under Section 4 of the Citizenship Act, 1955 is applicable only for minors. If a person has attained full age, he can apply for Indian citizenship under relevant provisions of Section 5 or 6 of the Citizenship Act, 1955.

22. I was earlier Indian citizen and my minor child was also Indian citizen. Later on, my minor child has ceased to be an Indian citizen because I renounced Indian citizenship. How can my child resume Indian citizenship?

Reply: On attaining full age, your child can apply for resumption of Indian citizenship under provisions of Section 8 of the Citizenship Act, 1955 and Rule 24 of the Citizenship Rules, 2009.

******

Citizenship Wing, Foreigners Division
Ministry of Home Affairs

भारतीय नागरिकता

प्राय: पूछे जाने वाले प्रश्न

1. मैं वदेशी हूँ और भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहता हूँ। मुझे भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लए कैसे और कहां आवेदन करना चाहिए**?**

उत्तर**:** कृपया गृह मंत्रालय की वेबसाइट **indiancitizenshiponline.nic.in** देखें। आप नागरिकता अ धनियम**,1955** की धारा 5 और धारा 6 के अंतर्गत उल्लि खत संगत उपबंधों के तहत अपनी पात्रता की जांच करें और संबं धत फॉर्म ऑनलाइन भरें**,** आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और निर्धारित शुल्क अदा करें।

2. मुझे नागरिकता आवेदन फॉर्म की हार्डकॉपी कहां जमा करनी होगी**?**

उत्तर**:** ऑनलाइन भरे गए आवेदन के प्रंटआउट को जिस क्षेत्र का आवेदक साधारणतया निवासी है**,** उस क्षेत्र के जिला कलेक्टर/ जिला मजिस्ट्रेट / उपायुक्त (इसमें इसके पश्चात् जिला कलेक्टर कहा गया है) के कार्यालय में जमा करना होगा। यदि आवेदक भारत से बाहर रह रहा है तो आवेदन का प्रंट आउट कान्सलर जनरल ऑफ इं डया के पास जमा करना होगा।

3. मुझे अपने नागरिकता आवेदन के संबंध में हुई प्रगति / स्थिति के बारे में कैसे पता चलेगा**?**

उत्तर**:** आप अपने आवेदन की स्थिति की जानकारी गृह मंत्रालय की वेबसाइट **indiancitizenshiponline.nic.in** से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा**,** आपको ई-मेल और एसएमएस के जरिए भी आवेदन की प्रगति के बारे में सू चत कया जाएगा।

नागरिकता स्कंध, वदेशी वषयक प्रभाग
गृह मंत्रालय

4. भारतीय नागरिकता प्राप्त करने में कतना समय लगेगा**?**

उत्तर**:** जिला कलेक्टर के कार्यालय में आवेदन जमा करने के बाद**,** इस पर नागरिकता नियम**, 2009** के नियम 12 और उसमें उल्लिखत समय-सीमा के अनुसार कार्रवाई की जाती है। केन्द्र सरकार/सक्षम प्राधकारी प्रस्तुत कए गए दस्तावेजों की उपयुक्तता तथा सुरक्षा रिपोर्ट की उपलब्धता के आधार पर मामलों का निपटान करती /करता है।

5. मैं गृह मंत्रालय की वेबसाइट **indiancitizenshiponline.nic.in** पर फॉर्म भरने में असमर्थ हूँ। मुझे सहायता के लए कससे संपर्क करना होगा**?**

उत्तर**:** कृपया गृह मंत्रालय के हेल्पडेस्क पर दिए गए ई-मेल**: support.ctznoci@mha.gov.in** से संपर्क करें।

6. नागरिकता आवेदन से संबंधत निर्धारित शुल्क का भुगतान कैसे करें**?**

उत्तर**:** ऑनलाइन फॉर्म भरने के पश्चात आवेदक को अंत में आवेदन सब्मिट करना होगा। इसके बाद आवेदक को संगत दस्तावेज अपलोड करने होंगे। तत्पश्चात एसबीआई-ई पे भुगतान गेटवे के जरिए निर्धारित शुल्क अदा करने का प्रावधान खुलेगा। शुल्क राशि का भुगतान करने के लए नेट बैंकग**,** डेबिट और क्रेडट कार्ड सुवधाओं का उपयोग कया जा सकता है। आवेदक एसबीआई-ई पे भुगतान गेटवे द्वारा उपलब्ध करवाए गए तीन माध्यमों में से कसी भी एक का प्रयोग करके शुल्क का भुगतान कर सकता है।

7. मैं भारत से बाहर रह रहा हूँ। मैं शुल्क का भुगतान कैसे करूं**?**

उत्तर**:** वही जो प्रश्न 6 के उत्तर में दिया गया है। शुल्क का भुगतान भारतीय रुपये में करना होगा।

नागरिकता स्कंध, वदेशी वषयक प्रभाग
गृह मंत्रालय

8. मैं नेपाली मूल का हूँ और मेरे पास पासपोर्ट और वीजा नहीं है। क्या मैं भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लए ऑनलाइन आवेदन कर सकता हूँ**?**

उत्तर**:** पासपोर्ट नहीं होने पर**,** आपको नेपाली नागरिकता प्रमाण-पत्र अथवा नेपाल के चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान-पत्र अथवा भारत में नेपाली मशन द्वारा जारी सी मत वैधता वाला फोटो पहचान प्रमाण-पत्र अथवा**,** वैध यात्रा दस्तावेजों सहित माता- पता के साथ आने वाले **10** से **18** वर्ष के आयु समूह के बच्चों के संबंध में वद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा जारी कया गया फोटो पहचान-पत्र ऑनलाइन अपलोड करना होगा तथा फॉर्म भरना होगा।

9. मैं भूटान मूल का हूँ और मेरे पास पासपोर्ट और वीजा नहीं है। क्या मैं भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लए ऑनलाइन आवेदन कर सकता हूँ**?**

उत्तर**:** पासपोर्ट नहीं होने पर**,** आपको भूटानी नागरिकता प्रमाण-पत्र अथवा भूटान के चुनाव आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान-पत्र अथवा भारत में रॉयल भूटानी मशन द्वारा जारी सी मत वैधता वाला फोटो पहचान प्रमाण-पत्र अथवा**,** वैध यात्रा दस्तावेजों सहित माता- पता के साथ आने वाले **10** से **18** वर्ष के आयु समूह के बच्चों के संबंध में वद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा जारी कया गया फोटो पहचान-पत्र ऑनलाइन अपलोड करना होगा तथा फॉर्म भरना होगा।

10. भारतीय नागरिकता के लए आवेदन की तारीख से पहले, मैं 12 महीने में से 25 दिन भारत से बाहर रहा हूँ। क्या मैं भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का पात्र हूँ**?**

उत्तर**:** केंद्रीय सरकार यदि यह मान लेती है क वशेष परिस्थितियां रही हैं तो वह नागरिकता अ धनियम**,** 1955 की धारा **5(1)(**क**), 5(1)(**ग**), 5(1)(**च**), 5(1)(**छ**)** और **6(1)** के अंतर्गत आवेदनों हेतु आवेदन की तारीख से पहले 12 माह की आवास अव ध की आवश्यकता के लए अ धकतम 30 दिनों की छूट प्रदान कर सकती है। आवेदक को

उन वशेष परिस्थितियों का ववरण प्रदान करना होगा जिनके कारण वह अपने आवेदन की तारीख से पहले 12 माह की आवास अव ध की आवश्यकता को पूरा नहीं कर सका।

11. मेरे पास मेरे जन्म की तारीख दर्शाने वाला उच्च वद्यालय/मैट्रिकुलेशन/ एचएससी प्रमाण-पत्र है और आधार कार्ड भी है। क्या मैं 'जन्म प्रमाण-पत्र' के स्थान पर भारत में जन्म के प्रमाण के रूप में इन दस्तावेजों को प्रस्तुत कर सकता हूँ**?**

<u>उत्तर</u>**:** कानूनी फॉर्म अर्थात फॉर्म **I** से फॉर्म **VIII** में निर्दिष्ट दस्तावेज प्रस्तुत करने जरूरी हैं। उपर्युक्त वैकल्पिक दस्तावेज स्वीकार्य नहीं हैं।

12. मेरा जन्म **1990** में भारत में हुआ था और मेरे जन्म के समय मेरी माता और पता दोनों वदेशी थे। क्या मैं जन्म से भारत का नागरिक हूँ**?**

<u>उत्तर: </u>जी नहीं। अ धक ववरण के लए आप नागरिकता अ धनियम**,** **1955** की धारा 3 के उपबंधों को देखें।

13. मैं वदेशी हूँ तथा **20** से अ धक वर्षों से भारत में रह रहा हूँ। इतनी लम्बी अव ध के लए लगातार भारत में रहने के कारण क्या मैं भारत का नागरिक नहीं हूँ**?**

<u>उत्तर</u>**:** जी नहीं। केवल लम्बी अव ध तक भारत में रहने के कारण कोई भारत का नागरिक नहीं हो जाता है। भारत की नागरिकता**,** नागरिकता अ धनियम**,** 1955 के निम्न ल खत उपबंधों में से कसी एक के अंतर्गत प्राप्त की जा सकती है**:-**

क)	जन्म द्वारा नागरिकता	**-** धारा **3**
ख)	वंशानुक्रम द्वारा नागरिकता	**-** धारा **4**
ग)	पंजीकरण द्वारा नागरिकता	**-** धारा **5**
घ)	देशीकरण द्वारा नागरिकता	**-** धारा **6**
ड.)	भू-भाग के समावेशन द्वारा नागरिकता	- धारा *7*

नागरिकता स्कंध, वदेशी वषयक प्रभाग
गृह मंत्रालय

14. मेरे पास वैध वदेशी पासपोर्ट और वैध वीजा/आरपी/एलटीवी नहीं हैं। क्या मैं भारतीय नागरिकता के लए आवेदन कर सकता हूँ**?**

<u>उत्तर</u>**:** जी नहीं। नागरिकता अ धनियम,1955 की धारा 5 और 6 के उपबंधों के अनुसार कोई गैर-कानूनी प्रवासी भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का पात्र नहीं है। "गैर-कानूनी प्रवासी" शब्दों की परिभाषा नागरिकता अ धनियम,1955 की धारा **2(1)(ख)** में दी गई है।

15. मुझे अतिरिक्त/अधूरे दस्तावेज प्रस्तुत करने के लए एक पत्र प्राप्त हुआ है। मुझे ये दस्तावेज कैसे और कहां जमा करवाने होंगे**?**

<u>उत्तर</u>**:** कृपया इन दस्तावेजों को गृह मंत्रालय की वेबसाइट **indiancitizenshiponline.nic.in** की अपनी फाइल संख्या के सामने अपलोड करें और उसके बाद इन दस्तावेजों की एक प्रति अपने क्षेत्र, जहां आप साधारणतया रह रहे हैं, के जिला कलेक्टर के कार्यालय में जमा कराएं।

16. मुझे यह सूचना प्राप्त हुई है क केंद्रीय सरकार ने मुझे नागरिकता प्रदान करने का निर्णय लया है और मुझसे कहा गया है क मैं अदा कए गए शुल्क की मूल रसीद, फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, पूर्ण रूप से भरे गए फार्म **X** अथवा **XI** अथवा **XII** और मूल त्याग प्रमाण-पत्र (**renunciation certificate**) प्रस्तुत करूं। मैं इन दस्तावेजों को कहां जमा करूं**?**

<u>उत्तर:</u> आपको चाहिए क आप इन दस्तावेजों की स्कैन की हुई प्रतियां गृह मंत्रालय की वेबसाइट **indiancitizenshiponline.nic.in** पर अपलोड करें। तथा प, आपको इन दस्तावेजों को मूल प्रतियों को संबं धत जिला कलेक्टर के कार्यालय में जमा करना होगा।

नागरिकता स्कंध, वदेशी वषयक प्रभाग
गृह मंत्रालय

17. मुझे सैद्धांतिक मंजूरी पत्र जारी कया गया है और कहा गया है क मैं अपनी पा कस्तानी नागरिकता का त्याग कर दूं। ले कन पा कस्तान का दूतावास त्याग प्रमाण-पत्र जारी नहीं कर रहा है। इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए**?**

उत्तर: पा कस्तान और अफगानिस्तान के हिंदू/सख समुदायों से संबंध रखने वाले उन आवेदकों जिन्होंने 31.12.2009 को अथवा उससे पहले भारत में प्रवेश कया है, को त्याग प्रमाण-पत्र के स्थान पर शपथ-पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति दी गई है और वे गृह मंत्रालय का दिनांक 17.11.2014 का परिपत्र देखें। अन्य आवेदकों को अनिवार्य रूप से अपने देश के दूतावास से प्राप्त त्याग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

18. मेरे बच्चे का जन्म भारत से बाहर हुआ है। नागरिकता अ धनियम, 1955 की धारा 4 के अधीन भारतीय मशन में उसका जन्म पंजीकरण कैसे करना है**?**

उत्तर: आप गृह मंत्रालय की वेबसाइट **indiancitizenshiponline.nic.in** देखें और जन्म पंजीकरण हेतु अपे क्षत फार्म भरें। अन्य कोई कठिनाई होने पर कृपया संबं धत भारतीय मशन से संपर्क करें।

19. मेरे बच्चे का जन्म पांच वर्ष पूर्व भारत के बाहर हुआ था। क्या मैं उसके जन्म का पंजीकरण भारतीय मशन में कर सकता हूँ**?**

उत्तर: वशेष परिस्थितियों में**,** भारतीय मशन प्रमुख कसी भी अवयस्क के जन्म का पंजीकरण जन्म ति थ के एक वर्ष बाद भी कर सकता है।

20. मेरे बच्चे का जन्म भारत के बाहर हुआ था ले कन अब वह साधारणतया भारत का निवासी है। क्या मैं वदेश स्थित भारतीय मशन में उसके जन्म का पंजीकरण कर सकता हूँ**?**

उत्तर**:** उपर्युक्त प्रश्न संख्या 18 एवं 19 का उत्तर देखें।

नागरिकता स्कंध, वदेशी वषयक प्रभाग
गृह मंत्रालय

21. मेरे पुत्र की आयु 19 वर्ष है और उसका जन्म वदेश में हुआ था। क्या वह अब अपने जन्म का पंजीकरण भारतीय मशन में कर सकता है**?** वह भारतीय नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकता है**?**

<u>उत्तर:</u> नागरिकता अ धनियम, 1955 की धारा की धारा 4 के अनुसार जन्म का पंजीकरण केवल अवयस्क बच्चों पर ही लागू है। यदि कोई व्यक्ति वयस्क हो गया है तो वह नागरिकता अ धनियम, 1955 की धारा 5 अथवा 6 के संगत उपबंधों के अंतर्गत भारतीय नागरिकता के लए आवेदन कर सकता है।

22. पहले मैं भारतीय नागरिक था और मेरा अवयस्क बच्चा भी भारतीय नागरिकता था। बाद में मेरा अवयस्क बच्चा भारतीय नागरिक नहीं रहा, क्यों क मैंने भारतीय नागरिकता का त्याग कर दिया था। मेरा यह बच्चा भारतीय नागरिकता पुन: कैसे प्राप्त कर सकता है**?**

<u>उत्तर</u>: व्यस्क होने जाने पर आपका बच्चा नागरिकता अ धनियम, 1955 की धारा 8 तथा नागरिकता नियमावली, 2009 के नियम 24 के उपबंधों के अंतर्गत भारतीय नागरिकता पुन: प्राप्त करने के लए आवेदन कर सकता है।

****

नागरिकता स्कंध, वदेशी वषयक प्रभाग
गृह मंत्रालय